4/5/18	पत्रावली कैम्प कोर्ट / लोक अदालत में ग्रा०पं० मु० [illegible] पेश हुई / वादी [illegible] उपस्थित पक्षकारान को सुना	[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	गया / पत्रावली का अवलोकन किया गया / दावा वादी डिक्री योग्य पाया जाता है / अतः दावा वादी बहक वादी डिक्री किया जाता है / डिक्री नियमानुसार पृथक से लिखा जाकर सं० मि० [illegible] गया पत्रावली डिक्री जारी हो / पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड भेजी जावे / सुनाया। [signature] पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कठूमर (अलवर)	कमलसिंह प्रतापसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1 / 167 / 12

वउनवान

1. गिर्राज सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी सिटाहैडा

------ वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत टिटपुरी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत टिटपुरी
2. सचिव ग्राम पंचायत टिटपुरी जरिए सचिव ग्राम पंचायत टिटपुरी

---- प्रतिवादीगण

1. भगवत सिंह पुत्र प्रभुसिंह राजपूत निवासी सिाटाहैडा
2. फूलसिंह पुत्र प्रभुसिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा
3. तेजसिंह पुत्र प्रभुसिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा
4. करण सिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा
5. बनेसिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा
6. कमलसिंह पुत्र सरदार सिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा
7. प्रतापसिंह पुत्र सरदार सिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा

---- तर0 प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी मशवरे

उपस्थित :-

श्री ओमवीर सिंह एडवोकेट : वकील वादी

श्री भीमसिंह राणा : वकील प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 02.05.2018

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.37 हे., खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.35 हे. वाके ग्राम सिटाहैडा तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण के शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी पर वादी एवं तर0 प्रति0 के मध्य आपस के बहामी बटवारा हो गया है जिस बहामी बटबारे में वादी के हक वो कब्जे विवादित आराजी आई है। विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को खुलेआम धमकी दी है कि हम विवादित आराजी पर तुम्हें खुले आम धमकी दी है। कि शांतिपुर्वक काश्त नहीं करने देगें। अतः वादी ने दावा डिक्री कर विवादित आराजी में प्रतिवादीगण को किसी किस्म की रूकावट एवं मजाहमत पैदा ना करें, जवरन बेदखल कर खुद कब्ला ना करे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3, 5 लगा0 7 उपस्थित नहीं हुये। उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली लोक अदालत कोर्ट कैम्प में पेश हुयी । वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4,8,9 स्वयं उपस्थित हुये। पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकरान को सुना गया। वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण की तन्हा कब्जे कास्त की आराजी है। जिस पर तन्हा वादीगण काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का किसी किस्म का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबंदी संबत 2067–2070 वाके ग्राम सिटाहेडा खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.37 हे., खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.35 हे. वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की आराजी है

Scanned by CamScanner

जिस पर प्रतिवादीगण का अधिकार नहीं है। वाद वादी सावित होने से दावा वादीगण डिक्री किये जानें योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.37 हे., खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.35 हे. वाके ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर पर वादीगण के कब्जे कास्त में प्रतिवादीगण दखलंदाजी नहीं करे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजीयात पर वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करें, जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करे। उक्त आराजी में होकर जबरन सडक निर्माण ना करें तथा कृषि योग्य भूमि को अकृषि योग्य ना बनावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 02.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/167/12

वउनवान

1. गिर्राज सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी सिटाहैडा

------ वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत टिटपुरी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत टिटपुरी
2. सचिव ग्राम पंचायत टिटपुरी जरिए सचिव ग्राम पंचायत टिटपुरी

----- प्रतिवादीगण

1. भगवत सिंह पुत्र प्रभुसिंह राजपूत निवासी सिाटाहैडा
2. फूलसिंह पुत्र प्रभुसिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा
3. तेजसिंह पुत्र प्रभुसिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा
4. करण सिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा
5. बनेसिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा
6. कमलसिंह पुत्र सरदार सिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा
7. प्रतापसिंह पुत्र सरदार सिंह राजपूत निवासी सिटाहैडा

---- तर0 प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी मशवरे

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.37 हे., खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.35 हे. वाके ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर पर वादीगण के कब्जे कास्त में प्रतिवादीगण दखलंदाजी नहीं करे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजीयात पर वादीगण

Scanned by CamScanner

के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करें, जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करे। उक्त आराजी में होकर जबरन सडक निर्माण ना करें तथा कृषि योग्य भूमि को अकृषि योग्य ना बनावे।

आज दिनांक 02.05.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर वो मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner